

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अनुपालन में
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वृत्तीय संवर्ग) के द्वारा अनुरोध के आधार पर प्राप्त आवेदन
पत्र

9

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर ही मृतक को अंतिम शांतिदान किया जाएगा।

॥३॥

[illegible]

~~SECRET~~

Keh-tal-eh

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती देवेश्वरी राणा हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं। इस वर्ष 2023 ई. में उनकी आयु 53 वर्ष थी।

प्रधानाध्यापिका
राजकोउमार्गवि०. नाई. टिहरी
टिहरी-गढ़वाल

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- निजीहित/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

द्वारा:- उचित माध्यम।

महोदय,

निवेदन करना है कि प्रार्थी वर्तमान में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 10वीं रा0मा0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। मेरी पत्नी श्रीमती देवश्या राणा, राजकीय सेवा में नई टिहरी में कार्यरत है। इस वर्ष स्थानान्तरण एक्ट के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम में होना निश्चित है। उनका स्वास्थ्य एवं मेरा स्वास्थ्य भी अक्सर खराब रहता है, जिसके कारण पारिवारिक परिस्थितियों अनुकूल नहीं है तथा काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।

आपको यह भी अवगत कराना है कि मेरी सेवानिवृत्ति वर्ष 2025 में दिसम्बर में है, मैं अपने शेष कार्यकाल गोपेश्वर (दुर्गम) में देना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परिवार एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भलीभाँति के साथ कर सकूँ। यह भी अवगत कराना है कि मेरी पत्नी वर्तमान में नई टिहरी में शिक्षा विभाग में कार्यरत है, जो कि शिक्षा विभाग के मानक के अनुसार सुगम स्थान है, का स्थानान्तरण इस वर्ष अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम में होना है।

महोदय, आपको यह भी अवगत कराना है कि कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, बारवों वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती आशा वर्तवाल दिनांक 30.04.2023 को सेवा निवृत्त हो गई हैं। इस तरह उक्त जनपद में मुख्य प्रशासनिक के पद रिक्त हो गया है।

अतः महोदय, से करबद्ध प्रार्थना है कि प्रार्थी अपने घर की देखभाल के साथ-साथ राजकीय कार्यों के सम्पादन भी सही ढंग से कर सकूँ। मेरी सेवा निवृत्ति दिनांक 31.12.2025 को है। मैं अपनी बाकी सेवा दुर्गम में करने का इच्छुक हूँ। इस हेतु मेरा स्थानान्तरण अनुरोध के आधार पर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, बारवों वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी दुर्गम में करने की कृपा कीजियेगा।

दिनांक-

प्रार्थी,

(मातवरसिंह राणा)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,

10वीं रा0मा0, वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।

अग्रिम प्रतिलिपि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया मेरी उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये मेरा स्थानान्तरण कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, बारवों वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी में करने की कृपा कीजियेगा।

अग्रिम प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, रा0मा0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया मेरी उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये मेरा स्थानान्तरण कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, बारवों वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी में करने हेतु अपने स्तर से प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को लिखने की कृपा कीजियेगा।

प्रतिलिपि श्री सुरेन्द्र प्रसाद बछेती, प्रांतीय अध्यक्ष, वृत्तीय मिनिस्ट्रीयल संघ, 9वीं वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आप भी अपने स्तर से प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को लिखने की कृपा करें।

हस्ता. 1944/79 P.C.-10/23

दिनांक- 03-05-2023 (मातवरसिंह राणा)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1, रा0मा0, लो0नि0वि0, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
देहरादून को संस्तुत सहित कागजात,

10वीं रा0मा0, वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।

अधीक्षण अभियन्ता
10वीं राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो0नि0वि0
देहरादून

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एकट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	रत्नमणि सिंह बिष्ट	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	॥ बाँ वि० प्रॉ० ट्टा लो० नि० वि० - देहरादून	चम्पौरा / चम्पौरा	7 बाँ ट्टा लो० नि० वि० - नौपेछर	धारा के नाम के आगे १ लगायें ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☒ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छ) ☒ धारा 17(1) (ख) (सात) प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण पत्नी का स्वरकारी पत्नी के स्वरकारी के धारा 17 (1) (ख) (एक) धारा 17 (1) (ख) (दो) धारा 17 (1) (ख) (तीन) धारा 17 (1) (ख) (चार) धारा 17 (1) (ख) (पांच) धारा 17 (1) (ख) (छ) धारा 17 (1) (ख) (सात)	पत्नी का स्वरकारी पत्नी के स्वरकारी के धारा 17 (1) (ख) (एक) धारा 17 (1) (ख) (दो) धारा 17 (1) (ख) (तीन) धारा 17 (1) (ख) (चार) धारा 17 (1) (ख) (पांच) धारा 17 (1) (ख) (छ) धारा 17 (1) (ख) (सात)	पत्नी का स्वरकारी पत्नी के स्वरकारी के धारा 17 (1) (ख) (एक) धारा 17 (1) (ख) (दो) धारा 17 (1) (ख) (तीन) धारा 17 (1) (ख) (चार) धारा 17 (1) (ख) (पांच) धारा 17 (1) (ख) (छ) धारा 17 (1) (ख) (सात)

नोट :-

कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एकट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

(हस्ताक्षर)

नाम :- रत्नमणि सिंह बिष्ट

पदनाम :- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

॥ बाँ वि० प्रॉ० ट्टा लो० नि० वि०

हस्ताक्षर (कार्यालयीय)

(हस्ताक्षर)

नाम :- रत्नमणि सिंह बिष्ट

पदनाम :- मुख्य

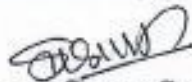
कार्यालय-उप शिक्षा अधिकारी 'प्रा0शि0' दशोली चमोली ।

सेवारत प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है श्रीमती सुनीता विष्ट, पत्नी श्री सतेन्द्र सिंह विष्ट प्रधानाध्यापिका, रा0प्रा0वि0 क्यांकी, दशोली, चमोली में दिनांक- 02 जुलाई 2019 से अविरल रूप से कार्यरत है।

दिनांक-20-04-2023

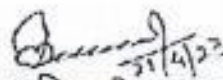
(सिख प्रतिलिपि)



मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

11 बाँ वि/यां वृत्त लो.नि.वि.

देहरादून


उप शिक्षा अधिकारी 'प्रा0शि0'
दशोली चमोली (प्रा0शि0)